



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20082026-275616
CG-DL-E-20082026-275616

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4406]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 19, 2026/श्रावण 28, 1948

No. 4406]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 19, 2026/SHRAVAN 28, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2026

का.आ. 4586(अ).— यतः, केंद्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना का.आ 465 (अ) दिनांक 26 अप्रैल, 2002 द्वारा तेलंगाना राज्य में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 (पुराना एनएच-7) के किमी 0+000 से किमी 9+400 और 34.800 से 463.632 (हैदराबाद - कर्नाटक/आंध्र प्रदेश खंड) तक का खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके बाद "प्राधिकरण" कहा जाए) को सुपुर्द किया है;

अतः अब, आज तक के अनुवर्ती संशोधनों सहित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम 2008 के नियम 3 (जिसे इसके बाद "नियम" कहा जाए) के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना संख्या का.आ 412(अ) दिनांक 06 फरवरी, 2009 को रद्द करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर जाडचेरला (चेनेज किमी 80.306) से प्रस्तावित कोथाकोटा बाईपास (चेनेज किमी 136.046) खंड के चार या अधिक लेन के उपयोग के लिए नीचे दी गई सारणी 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर 50.096 किमी की निवल सड़क लंबाई [सारणी-2] और 7.98 किमी (0.798 किमी लंबाई वाली [सारणी-4]) की समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक) के लिए सारणी 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर के 100% पर और दस करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाले 4.846 किलोमीटर लंबाई वाले बाईपास

[सारणी -3] के लिए आधार दर के 150% पर शुल्क उद्धृति करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों या किसी संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात:-

सारणी - 1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. आधार शुल्क दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा मृदा संचालन उपस्कर (ई.एम.ई) या बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. इसके अंतर्गत उद्धृति और संग्रहीत शुल्क, ऐसे शुल्क प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निवल सड़क की दूरी हेतु शुल्क प्लाजाओं में देय और संदेय होगी, अर्थात: -

सारणी-2		
शुल्क प्लाजा का अवस्थान(चेनेज)	लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क देय है	जिस दर पर शुल्क देय है
तेलंगाना राज्य के महबूबनगर जिले में शाकापुर गांव के पास एनएच-44 (पुराना एनएच-7) के 114.650 किलोमीटर पर।	50.096 किमी [बाईपास की लंबाई (जिसकी लागत 10 करोड़ है) और संरचनाओं की लंबाई (60 मीटर से अधिक) को छोड़कर]	चार या अधिक लेन के लिए उपर्युक्त सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाले बाईपास के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क भी देय होगा, जो ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट निवल बाईपास लंबाई के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर होगा :-

सारणी-3

शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चेनेज)	बाईपास का नाम	पर आरंभ होते हुए	पर मिलते हुए	बाईपास की लंबाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है		दर, जिस पर शुल्क संदेय है
				लंबाई (किमी में)	लागत (करोड़ रुपये में)	
तेलंगाना राज्य के महबूबनगर जिले में शाकापुर गांव के पास एनएच-44 (पुराना एनएच-7) के 114.650 किलोमीटर पर।	एनएच-44 का कोथाकोटा बाईपास	131+200	136+046	4.846	27.27 करोड़	चार या अधिक लेन के लिए उपर्युक्त सारणी -1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित संरचनाओं के उपयोग के लिए संरचनाओं की लंबाई को 10 के समतुल्य कारक से गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में परिवर्तित करके निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा :-

सारणी-4			
शुल्क प्लाजा (चेनेज) का स्थान	समतुल्य सड़क लंबाई में परिवर्तित की जाने वाली संरचनाओं [^] की लंबाई (कि.मी. में)	समतुल्य सड़क लंबाई (किमी में)	वह दर जिस पर शुल्क देय है
तेलंगाना राज्य के महबूबनगर जिले में शाकापुर गांव के पास एनएच-44 (पुराना एनएच-7) के 114.650 किलोमीटर पर।	0.798	7.980	चार या अधिक लेन के लिए उपर्युक्त सारणी -1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

[^]60 मीटर से अधिक लंबाई वाली संरचनाओं का विवरण निम्नलिखित है:

क्रम सं.	चेनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी में)
	किलोमीटर से	किलोमीटर तक		
1	80+696	80+767	फ्लाईओवर	0.071
2	92+804	92+875	फ्लाईओवर	0.071
3	94+938	95+034	बड़ा पुल	0.096
4	100+787	100+849	बड़ा पुल	0.062
5	111+738	111+917	बड़ा पुल	0.179
6	124+236	124+336	बड़ा पुल	0.100
7	130+302	130+521	बड़ा पुल	0.219
संरचनाओं की कुल लंबाई (जिनकी लंबाई 60 मीटर से अधिक)				0.798

4. गैर वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और शुल्क प्लाज बीस किलोमीटर तक की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2026-27 के लिए 360.000 रुपये (तीन सौ साठ रुपये मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के लिए अध्यधीन है।

5. राजमार्ग खंड पर एकाधिक यात्राओं के लिए, निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात:-

सारणी - 5		
संदेय धनराशि	अनुज्ञात एकतरफ़ा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यत की अवधि
एक तरफ की यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
शुल्क की दो-तिहाई राशि पचास एकल यात्राओं के लिए देय	पचास	भुगतान की तिथि से एक माह

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा स्थित है, वहां पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के तहत चलने वाले वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित दर का 50% होगा, बशर्ते ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।
7. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश के लिए, कथित नियमों के नियम 10 में विनिर्दिष्ट शुल्क के समतुल्य शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
8. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।
9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।
10. उपर्युक्त सारणी- 1 यथा उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी. शुल्क की आधार दर के आधार पर यांत्रिक वाहनों से शुल्क की वास्तविक राशि और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 1281.12 करोड़ रुपये है। चूंकि, भूमि अधिग्रहण, उपयोगिता स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, भविष्य में सुदृढीकरण, क्षमता में वृद्धि इत्यादि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है, इसलिए पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है और प्राप्त प्रयोक्ता शुल्क के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. टीजीडीआईवी/19/2026-पीआईयू महबूबनगर/ई-267831]

चेतना नंद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAY'S

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th August, 2026

S.O. 4586(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. No. 465(E) dated 26.04.2002, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretches from Km 0.000 to km 9.400 & 34.800 to Kilometre 463.632 (Hyderabad – Karnataka/Andhra Pradesh section) of National Highway No. 44 (Old NH-7) in the state of Telangana respectively to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

Now, therefore in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and subsequent amendments till date (hereinafter referred to as the “rules”) and in supersession of the Notification No. S.O. No. 412(E) dated 06.02.2009, the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at 100% of the base rate specified in column (2) of Table 1 for net road section length of 50.096 Km [Table 2] and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 7.98 Km (having length of 0.798 [Table 4]) and at 150% of the base rate for bypass having length of 4.846 Km [Table 3] costing rupees ten crores or more on the type of vehicle specified in column (1) of Table 1 below, for the use of four or more lane section from Jadcherla (Ch. Km 80.306) to End of Proposed Kothakota Bypass (Ch Km.136.046) on National Highway No.44 in the State of Telangana and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely: -

Table 1	
Type of Vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65

Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Over Sized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza namely:

Table-2		
Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At Km 114.650 of NH-44 (Old NH-7) near Shakapur Village in Mahabubnagar District of Telangana State	50.096 Km [excluding length of Bypass (costing > 10 Cr.) and length of Structures (>60m)]	100% for four or more lane of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs. 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza:

Table-3						
Location of Fee Plaza (chainage)	Name of the Bypass	Taking Off	Merging at	Length and Cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
				Length (in km)	Cost (in Rs. Cr)	
At Km 114.650 of NH-44 (Old NH-7) near Shakapur Village in Mahabubnagar District of Telangana State	Kothakota Bypass of NH-44	131+200	136+046	4.846	27.27 Cr	150% for four or more lane of the base rates mentioned in Table-1 above

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza, by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:-

Table-4			
Location of Fee Plaza (Chainage)	Length of structures^ (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At Km 114.650 of NH-44 (Old NH-7) near Shakapur Village in Mahabubnagar District of Telangana State	0.798	7.980	100% for four or more lane of the base rates mentioned in Table-1 above

^Details of the structures having length more than 60m are as under:

SL No	Chainage		Type of Structure	Length (in km)
	From Km	To Km		
1	80+696	80+767	Flyover	0.071
2	92+804	92+875	Flyover	0.071
3	94+938	95+034	Major Bridge	0.096
4	100+787	100+849	Major Bridge	0.062
5	111+738	111+917	Major Bridge	0.179
6	124+236	124+336	Major Bridge	0.100
7	130+302	130+521	Major Bridge	0.219
Total Length of the Structures (having length > 60m)				0.798

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the Fee plaza is Rs. 360 (Rupees Three Hundred and Sixty only) for the year 2026–27 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table-5		
Amount Payable	Maximum number of one-way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty-four hours from the time of payment
Two-third of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from the date of payment

6. Fee for commercial vehicles (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in rule 10 of the said rules.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc., shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007 – 2008 as mentioned in Table 1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the Rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is Rs. 1281.12 Crores. The Capital Cost is subject to variation as the activities of Land Acquisition, Utility Shifting, Tree Cutting, Future Strengthening, Capacity Augmentation etc. are yet to be completed. The Authority shall maintain a record of the recovery of Capital Cost through user fee realised.

[F. No. TGDIV/19/2026-PIU Mahbubnagar/E-267831]

CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.